

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ****आवेदन अंतर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या.- 261/2026**

मधुर मित्तल एवं अन्य

..... आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:- आलोक कुमार मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता, आकाश मिश्रा

सुरक्षित किया गया :25.02.2026**सुनाया गया:18.03.2026****न्यायालय संख्या. - 12****माननीय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया****आदेश**

1. प्रस्तुत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा किए गए परिवाद के अनुक्रम में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा संहिता की धारा 35(3)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अभिकथित प्रयोग में जारी की गयी सूचना दिनांक 05.01.2026 (संलग्नक संख्या 1) तथा तदनुषंगिक सूचनाओं को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनीष तिवारी ने प्रबल रूप से यह तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 4 के इशारे पर शुरू की गई संपूर्ण कार्यवाही विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने दुर्भाग्यवश उन दावों के संबंध में आपराधिक अभियोजन का सहारा लिया है जो अनिवार्य रूप से दीवानी प्रकृति के हैं। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 शासन-प्रशासन में अपनी गहरी पकड़ होने का दावा करता है और उसने उक्त शक्तियों का दुरुपयोग किया है तथा दुर्भाग्यवश प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त परिवाद पर कार्रवाई की है, जो कि दाखिल किए गए परिवाद के अनुसार अनिवार्य रूप से आपस में दीवानी विवादों को इंगित करती है, तथा वे विवाद भी आवेदकों के विरुद्ध नहीं हैं।

3. यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2-विशेष कार्य बल- का गठन माननीय राज्यपाल द्वारा शासनादेश संख्या 1889(1)VI-पु-2-98-1100(35), दिनांक 04.05.1998 के अंतर्गत किया गया था, जिसका उद्देश्य बढ़ते हुए माफियाओं और गिरोहों पर नकेल कसना तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, विघटनकारी ताकतों के विरुद्ध कार्रवाई एवं डकैतों के अधिसूचित गिरोहों एवं अंतर-जनपदीय अपराधों के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों के सहयोग और समन्वय में कार्य करना है। आगे यह तर्क दिया गया है कि शासनादेश दिनांक 04.05.1998 के निबंधनों के अनुसार, विशेष कार्य बल (संक्षेप में विशेष कार्य बल) का क्षेत्राधिकार खंड 2 में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि निम्नवत् है:

2. बल की शक्तियां एवं दायित्व

(i) विशेष कार्य बल द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल की किसी भी शाखा अथवा

इकाई से आपराधिक अभिसूचना व अन्य विवरण प्राप्त किये जा सकेंगे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ii) पुलिस महानिदेशक द्वारा चिन्हित माफियाओं/गिरोहों/डकैतों/विघटनकारी तत्वों/खुफिया एजेंटों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु स्पेशल टास्क फोर्स क, अपने कार्य क्षेत्र में Search, Seizure, गिरफ्तारी, अभिरक्षा, कुर्की पेचना की वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो, द०प्र०सं० एवम् अन्य विधियों के अधीन पुलिस अधिकारिया को प्राप्त हैं। साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स अपने कार्य क्षेत्र में स्थित किसी भी थाने में उक्त श्रेणी के व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराते हुए उसकी विदेवना स्वयं गृहण करने एवम् द०प्र०सं० के प्राविधानों अनुरूप पूर्ण करने हेतु सक्षम होगी।"

उक्त शासनादेश के खंड 3 में विशेष कार्य बल की संरचना निर्दिष्ट की गई है, जो वर्तमान मामले में सुसंगत नहीं है।

4. यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत एवं राज्य द्वारा प्रति-शपथ पत्र के साथ संलग्न किए गए परिवाद के अनुसार, दावे का मूल आधार अनिवार्य रूप से एक दीवानी विवाद है। यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (संक्षेप में 'यीडा') द्वारा ग्रेटर नोएडा में नगरी आवासीय के आवंटन हेतु एक योजना निकाली गई थी। उक्त योजना में निम्नलिखित चार कंपनियों द्वारा बोली लगाई गई थी:

- (i) मैसर्स एनोवा इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड,
- (ii) मैसर्स प्रिज्मेटिक डेवलपर्स लिमिटेड,
- (iii) मैसर्स इंडो इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड एवं
- (iv) मैसर्स विपुल लिमिटेड,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इन सभी ने मिलकर मैसर्स एडोर इन्फ्रास्मिथ प्राइवेट लिमिटेड के नाम और शैली से एक विशेष प्रयोजन वाहन (*संक्षेप में विशेष प्रयोजन वाहन*) का गठन किया।

5. यह कथन किया गया है कि तत्पश्चात विशेष प्रयोजन वाहन के चारों घटकों के मध्य कुछ आंतरिक विवाद उत्पन्न हो गए थे, जिसके लिए कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष याचिकाएं दायर की गई थीं। यह भी कथन किया गया है कि इसके पश्चात दिनांक 19.07.2019 को एक सहमति पत्र निष्पादित किया गया था, जिसमें इन घटकों के अतिरिक्त, मैसर्स एनर्जी बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (*संक्षेप में 'मैसर्स एनर्जी'*) नामक एक कंपनी ने दो घटक कंपनियों, अर्थात् मैसर्स एनोवा इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स प्रिज्मेटिक डेवलपर्स लिमिटेड को प्रकटित विक्रय प्रतिफल के बदले अधिग्रहित करने का प्रस्ताव रखा था। उक्त सहमति पत्र में एक मध्यस्थता खंड भी सम्मिलित था, जो संलग्नक-पी5 में अंतर्विष्ट है।

6. यह कथन किया गया है कि कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष कार्यवाही प्रचलित हुई, तथापि, मैसर्स एनर्जी द्वारा अपने दायित्वों के अनुपालन में विफलता रही, जिसके कारण दिनांक 25.01.2024 को एक द्वितीय सहमति पत्र निष्पादित किया गया था (संलग्नक-पी8)। आवेदकों द्वारा यह दावा किया गया है कि मैसर्स एनर्जी की ओर से पुनः व्यतिक्रम किया गया था। उक्त परस्पर विवाद वर्तमान में कंपनी विधि बोर्ड एवं विभिन्न मंचों के समक्ष विचाराधीन हैं।

7. यह कथन किया गया है कि जहाँ एक ओर आंतरिक विवाद विचाराधीन थे, वहीं दूसरी ओर विशेष प्रयोजन वाहन, जो कि एक स्वतंत्र और पृथक कंपनी है, का यीडा के साथ विवाद उत्पन्न हो गया। तदुपरान्त, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा 41(3) के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 20.06.2024 को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका, रिट-सी संख्या 8858/2024, योजित की गई। यह दावा किया गया है कि मैसर्स एनर्जी ने उक्त रिट याचिका

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में दिनांक 17.10.2024 को एक हस्तक्षेप आवेदन दायर कर हस्तक्षेप किया, जिसका विरोध भी किया गया था। यह भी कथन किया गया है कि मैसर्स एनर्जी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण दिल्ली के समक्ष लंबित कार्यवाहियों में भी हस्तक्षेप किया है।

8. यह कथन किया गया है कि तत्पश्चात इस न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.12.2024 के माध्यम से विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा दायर रिट याचिका को उनके पक्ष में निर्णीत कर दिया, और जहाँ तक मैसर्स एनर्जी का प्रश्न है, जिसने हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था, उनके दावे को यह टिप्पणी करते हुए निस्तारित कर दिया गया कि हस्तक्षेपकर्ता कथित रूप से देय किसी भी धनराशि को विधि के अनुसार वसूल करने के हकदार होंगे। उक्त निर्णय अभिलेख पर संलग्नक-पी14 के रूप में उपलब्ध है।

9. यह आगे कथन किया गया है कि निर्णय दिनांक 18.12.2024 के विरुद्ध, मैसर्स एनर्जी ने एक विशेष अनुमति याचिका, दैनिकी संख्या 4860/2025 (इंडो इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) योजित की। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2025 के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तर 59 में दिए गए निष्कर्षों को निम्नवत प्रभाव के साथ बरकरार रखा:

"विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

याचिकाकर्ता की ओर से डॉ. सूरत सिंह उपस्थित होकर अपने तर्कों को प्रस्तुत किया।

आक्षेपित निर्णय के प्रस्तर 59 में किए गए प्रेक्षणों के आलोक में, हम पाते हैं कि हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है, विशेषकर तब जब उच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका के याचिकाकर्ताओं को, उच्च न्यायालय के समक्ष रहे याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध विधि के अनुसार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कथित रूप से देय धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।

चूंकि आक्षेपित निर्णय के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं के उपचारों को सुरक्षित रखा गया है, अतः हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है।

तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका निस्तारित की जाती है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तदनुसार निस्तारित समझे जाएंगे।"

10. यह भी कथन किया गया है कि मैसर्स एनर्जी द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आगे की कार्यवाहियाँ की गईं। यह आगे कथन किया गया है कि इस स्तर पर, मैसर्स एनर्जी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के खारिज होने के पश्चात, प्रतिवादी संख्या 4 ने इसमें कदम रखा और यह दावा किया कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा मैसर्स एनर्जी को कुछ धनराशियों का भुगतान किया गया था, जिसका विवरण प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर प्रति-शपथ पत्र के प्रस्तर 25 में दिया गया है। प्रस्तर 28 में दर्शाई गई समस्त धनराशियों का भुगतान दिनांक 28.02.2025, अर्थात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका खारिज किए जाने के पश्चात, से प्रभावी हुआ है। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने के प्रयास के बजाय सीधे प्रतिवादी संख्या 2-विशेष कार्य बल-के पास परिवाद दर्ज कराने का एक अभिनव तरीका अपनाया, जिसे राज्य द्वारा दायर प्रति-शपथ पत्र के संलग्नक प्रति-शपथपत्र 1 के रूप में संलग्न किया गया है।

11. परिवाद के निबंधनों के अनुसार, यह कथन किया गया था कि आवेदक ने प्रतिवादी संख्या 4 को दिनांक 25.11.2025 को एक बैठक हेतु बुलाया था, और अभिकथित रूप से वहाँ जे.डब्ल्यू. मैरियट होटल, नई दिल्ली में कुछ धमकियाँ दी गई थीं। यह भी कथन किया गया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है कि तत्पश्चात जब परिवादकर्ता अपनी कार से नोएडा जा रहा था, तब उसका पीछा किया गया और उसे धमकाया भी गया। उसी परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब दिनांक 31.10.2025 को परिवादकर्ताओं में से एक लखनऊ गया था, तब कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसका पीछा किया और उसे डराया-धमकाया।

12. आश्चर्यजनक रूप से, परिवाद के प्रस्तर 3 में यह कथन किया गया था कि कार में बैठे व्यक्तियों में से एक की पहचान आवेदक संख्या 1 के भाई के रूप में की जा सकती थी और दूसरा व्यक्ति अनुराग बाजपेयी का सहयोगी प्रतीत हो रहा था, जिसे प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा धनराशियों का भुगतान किया गया था। यह भी कथन किया गया है कि तत्पश्चात परिवादकर्ताओं के फोन नंबर पर अज्ञात अंतरराष्ट्रीय कॉल प्राप्त हुए।

13. आश्चर्यजनक रूप से, परिवाद के प्रस्तर 6 में यह कथन किया गया था कि धमकियाँ दिए जाने के पश्चात, ऐसा महसूस किया गया कि चूंकि परिवाद कर्ता ने यीडा द्वारा आवंटित संपत्ति में भारी निवेश किया था, जिसके अंतर्गत लगभग 29 करोड़ रुपये एवं कुछ अतिरिक्त धनराशि का भुगतान एक अनुराग बाजपेयी और उनकी पत्नी को किया गया था, इसी कारण ये धमकियाँ उसे दी जा रही थीं।

14. उक्त आरोपों के आधार पर यह अनुरोध किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 को नामित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। आगे यह तर्क दिया गया है कि उक्त परिवाद के अनुक्रम में, प्रतिवादी संख्या 2 ने कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए बिना या परिवादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्देश दिए बिना ही, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के अधीन शक्तियों के अभिकथित प्रयोग में आवेदकों को सूचना जारी कर दी गयी। उक्त सूचना में यह उल्लेख किया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा एक परिवाद की गई है जिसके लिए जांच आवश्यक है, और आवेदकों को 12.01.2026 को कार्यालय में उपस्थित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

होने हेतु बुलाया गया। इसमें आगे यह निर्देशित किया गया कि आवेदक उक्त अपराध की पुनरावृत्ति न करें, साक्ष्यों को नष्ट न करें, जाँच में हस्तक्षेप न करें और न ही भारत छोड़कर बाहर जाएं। दिनांक 05.01.2026 की उक्त सूचना वर्तमान में चुनौतीपूर्ण है।

15. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि इस तथ्य से भली-भांति अवगत होने के बावजूद कि मैसर्स एनर्जी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई है और उनके पास कानून के अनुसार केवल बकाया राशि वसूल करने का ही विकल्प शेष है, प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रत्यक्ष तौर पर उनके विवादों को खरीद लिया है। साथ ही, विशेष प्रयोजन वाहन और आवेदकों पर अनुचित दबाव बनाने के उद्देश्य से, उसने सीधे प्रतिवादी संख्या 2 के पास जाकर विधिक प्रक्रिया का सहारा लिया। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने एक मुकदमेबाजी को मोल लिया है, और यह जानते हुए भी कि दीवानी पक्ष में उसका कोई दावा नहीं बनेगा क्योंकि वह न तो शेयरधारक था और न ही विशेष प्रयोजन वाहन का कोई घटक, उसने आपराधिक कार्यवाही का मार्ग चुना।

16. यह तर्क दिया गया है कि स्वयं परिवाद के निबंधनों के अनुसार भी, प्रथम बैठक जिसमें अभिकथित रूप से धमकियाँ दी गई थीं, वह दिनांक 25.11.2025 को दिल्ली में हुई थी, जिसके संबंध में कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद कभी दर्ज नहीं कराया गया; दूसरी घटना अभिकथित रूप से नोएडा में हुई जिसके लिए पुनः कोई परिवाद दर्ज नहीं किया गया और एक अन्य घटना अभिकथित रूप से लखनऊ में हुई जिसके लिए भी कभी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद दर्ज नहीं कराई गई, और अंततः वास्तव में परिवाद दिनांक 22.12.2025 को दाखिल की गई।

17. आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र के प्रस्तर 28 में की गई स्वीकारोक्ति के अनुसार, आवेदकों को किसी भी प्रकार की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कोई धनराशि कभी नहीं दी गई थी; समस्त धनराशियाँ एक अनुराग बाजपेयी, उनकी पत्नी या उनकी कंपनियों के समूह को भुगतान की गई थीं। अतः, यह जानते हुए भी कि आवेदकों या यहाँ तक कि विशेष प्रयोजन वाहन के विरुद्ध भी दीवानी कार्यवाही पोषणीय नहीं होगी, परिवाद का सहारा लेकर अभिकथित वसूली का प्रयास किया गया है। तदनुसार, यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 के अनुरोध पर शुरू की गई संपूर्ण कार्यवाही और जारी की गयी सूचना विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं हैं, इस प्रकार, वे निरस्त किए जाने योग्य हैं।

18. दूसरी ओर, विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री एस.एम. सिंह रोयेकवार ने एक शपथ पत्र दाखिल किया और अत्यंत निष्पक्षता के साथ यह कथन किया कि अब तक कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद अभिलेखित नहीं की गई है, केवल इसलिए क्योंकि परिवाद में अंतरराष्ट्रीय कॉल किए जाने के कुछ अभिकथन अंतर्विष्ट थे, आवेदकों को उसी के स्पष्टीकरण हेतु बुलाया गया था। उन्होंने पूर्ण स्पष्टता के साथ स्वीकार किया कि उक्त परिवाद अनिवार्य रूप से प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा धन की वसूली से संबंधित है, जिससे प्रतिवादी संख्या 2 का कोई सरोकार नहीं है। यह भी स्वीकार किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 की कार्यप्रणाली का दायरा दिनांक 04.05.1998 के उस शासनादेश में निहित और प्रवाहित है, जिसके अंतर्गत विशेष कार्य बल का गठन किया गया है।

19. राज्य द्वारा दाखिल प्रति-शपथ पत्र के प्रत्युत्तर में, आवेदकों ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि संपूर्ण प्रति-शपथ पत्र में इस बात का कोई विवरण नहीं दिया गया है कि किसी निजी व्यक्ति की परिवाद पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कैसे विचार किया जा सकता है या वह सीधे प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष कैसे पोषणीय थी। आगे यह तर्क दिया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के अंतर्गत जारी सूचना में यह दावा कैसे किया जा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सकता है कि आवेदकों को अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए या साक्ष्यों को नष्ट नहीं करना चाहिए, जबकि किसी अपराध का आरोप तक नहीं किया गया था। यह भी कथन किया गया है कि बैठकों के संबंध में परिवाद में किए गए दावे गलत हैं और वे मात्र कोरी कल्पना पर आधारित हैं। यह बताया गया है कि आवेदक संख्या 1 गुर्दे से संबंधित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती थे और उन्हें 12.10.2025 को छुट्टी दे दी गई थी, साथ ही वे कैंसर के तीसरे चरण से भी पीड़ित हैं।

20. प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से इस आधार पर आवेदन को निरस्त करने हेतु एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन पोषणीय नहीं होगा। यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों ने इस तथ्य को छिपाया है कि यीडा ने भी एक विशेष अनुमति याचिका संख्या 114/2025 दायर की है, जो अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और इस तथ्य को जानबूझकर छिपाया गया है। तदनुसार, यह तर्क दिया गया है कि तथ्यों के तात्त्विक छिपाव के आधार पर भी यह आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

21. यह आगे तर्क दिया गया है कि यहाँ तक कि आवेदक संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 4 के मध्य हुई संपूर्ण व्हाट्सएप चैट को भी संलग्न नहीं किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) की शब्दावली दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41क(1) के समान ही है और यह पुलिस अधिकारी को इस प्रकार की सूचना जारी करने के लिए सशक्त करती है। यह भी तर्क दिया गया है कि अन्वेषण पुलिस का एक वैधानिक कार्य है और यदि कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है तथा कोई दंडात्मक/पीड़ान्वकारी कदम नहीं उठाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग विधि विरुद्ध होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय *बिहार राज्य बनाम जे.ए.सी. सल्दान्हा; 1980 ACC 279 SC : AIR 1980 SC 326* के मामले में यह तर्क देने हेतु विश्वास जताया गया है कि किसी अपराध का अन्वेषण विशिष्ट रूप से पुलिस विभाग के माध्यम से कार्यपालिका के लिए आरक्षित है।

23. *रामलाल यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; 1989 SCC ऑनलाइन इलाहाबाद 73* के मामले में एक पूर्ण पीठ के निर्णय पर भी यह तर्क देने हेतु अवलंब लिया गया है कि शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के *अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य; (2023) 16 SCC 666* के एक विशिष्ट निर्णय में यद्यपि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन पोषणीय है, किंतु आक्षेपित आदेश के विरुद्ध ऐसा आवेदन पोषणीय नहीं होगा। तदनुसार, वह तर्क देते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा शक्तियों का प्रयोग पूर्णतः न्यायसंगत है।

24. यह तर्क देने हेतु कि अन्वेषण के स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *सतविंदर कौर बनाम राज्य (NCT दिल्ली सरकार); (1999) 8 SCC 728* एवं *पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय; (2019) 9 SCC 24* के मामलों में दिए गए निर्णयों पर विश्वास जताया गया है।

25. प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दाखिल प्रति-शपथ पत्र के प्रस्तर 28 में विशिष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि 29 करोड़ रुपये एवं कुछ अतिरिक्त धनराशि का भुगतान उस कंपनी द्वारा, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 भागीदार है, श्री अनुराग बाजपेयी, सुश्री सुधा बाजपेयी एवं मैसर्स इंडो इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में संबद्ध अधिकारों के इक्विटी शेयरों के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिग्रहण हेतु किया गया था; तथापि, इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है कि क्या वास्तव में शेयरों का हस्तांतरण हुआ था।

यह भी कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने पर्याप्त निवेश किया है, जिसके लिए आवेदकों ने मैसर्स इंडो इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों को किसी भी माध्यम से अधिग्रहित करने का वचन दिया था।

26. यह भी कहा गया है कि दो परिवादकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय नंबरों से कॉल प्राप्त हुए थे, जिनमें परिवादकर्ताओं को धमकी दी गई थी, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 2 के क्षेत्राधिकार का अवलंब लिया गया। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अन्य परिवादी सिकंदर मान के कर्मचारियों में से एक ने दिनांक 24.09.2025 को डी.सी.पी. (अपराध), झज्जर के समक्ष एक परिवाद दर्ज किया था, तथापि, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

27. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पोषणीयता के संबंध में उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति खारिज किए जाने योग्य है। यह तर्क देने हेतु कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग उन कार्यवाहियों को निरस्त करने के लिए किया जा सकता है, जहाँ न्यायालय यह पाता है कि प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए मामला बनता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के **कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी एवं अन्य; (1977) 2 SCC 699** के मामले में दिए गए निर्णय पर भी विश्वास जताया गया है।

28. यह आगे तर्क दिया गया है कि यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य; (1977) 4 SCC 551** के मामले में भी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए थे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

29. यह आगे तर्क दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उपचार का प्रयोग सामान्यतः तब नहीं किया जाता है, जब वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो।

30. यह कथन किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा **रामलाल यादव (उपरोक्त)** के मामले में दिया गया निर्णय, वर्ष 1976 में दंड प्रक्रिया संहिता में किए गए उस संशोधन के संदर्भ में था, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में अग्रिम जमानत के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से अपवर्जित कर दिया गया था और नागरिकों के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शरण लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था। उस शून्यता को भरने के लिए, गिरफ्तारी के आसन्न खतरे की स्थिति में याचिकाओं पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विचार किया जा रहा था। यह कथन किया गया है कि तत्पश्चात्, वर्ष 2019 में, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से धारा 438 के प्रावधानों को पुनर्स्थापित किया गया। परिणामस्वरूप, अपने नागरिकों के लिए अग्रिम जमानत और कार्यवाही को निरस्त कराने के उपचार की उपलब्धता के संबंध में, तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482/भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अधीन शक्तियों का अवलंब लेने के विषय में, उत्तर प्रदेश राज्य अन्य राज्यों के समकक्ष आ गया है।

31. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **इंदर मोहन गोस्वामी एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य एवं अन्य; (2007) 12 SCC 1** के मामले में यह प्रेक्षित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियाँ व्यापक हैं और यदि प्रक्रिया का कोई भी ऐसा दुरुपयोग जो अन्याय का कारण बन रहा हो, न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है, तो इन शक्तियों का अवलंब लिया जा सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग न्यायसंगत होगा। उक्त निर्णय के प्रस्तर 23 और 24 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत न्यायालय की शक्तियों का विस्तार और परिधि

"23. इस न्यायालय ने अनेक मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत न्यायालयों की शक्तियों के विस्तार और परिधि को प्रतिपादित किया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास न्याय के हित में कार्य करने की अंतर्निहित शक्ति है ताकि वास्तविक और तात्त्विक न्याय किया जा सके, जिसके प्रशासन के लिए ही उसका अस्तित्व है, अथवा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है:

- (i) संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए;
- (ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और
- (iii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।

24. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियाँ यद्यपि व्यापक हैं, तथापि इनका प्रयोग विरले ही, सावधानीपूर्वक एवं अत्यधिक सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए, और केवल तभी जब ऐसा प्रयोग स्वयं इस धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा न्यायसंगत हो। न्यायालय का प्राधिकार न्याय की उन्नति के लिए विद्यमान है। यदि प्रक्रिया का कोई भी दुरुपयोग, जिसके फलस्वरूप अन्याय हो रहा हो, न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है, तो विधि में विशिष्ट प्रावधानों के अभाव में, अंतर्निहित शक्तियों का अवलंब लेकर अन्याय को रोकना न्यायालय के लिए न्यायसंगत होगा।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसी प्रकार, उच्चतम न्यायालय ने **पाडल वेंकट रामा रेड्डी उर्फ रामू बनाम कोव्वुरी सत्यनारायण रेड्डी एवं अन्य; (2011) 12 SCC 437** के मामले में प्रस्तर 11 एवं 12 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

“11. यद्यपि उच्च न्यायालय के पास अंतर्निहित शक्ति है और इसकी परिधि अत्यंत व्यापक है, तथापि यह व्यवहार का एक नियम है कि इसका प्रयोग केवल अपवादात्मक मामलों में ही किया जाएगा। धारा 482 उच्च न्यायालयों के लिए एक प्रकार का स्मरण-पत्र है कि वे न केवल विधि के न्यायालय हैं, बल्कि न्याय के न्यायालय भी हैं और अन्याय को दूर करने के लिए अंतर्निहित शक्तियाँ रखते हैं। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति उस पद की एक अविच्छेद्य विशेषता है, जो वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में रखता है। ये शक्तियाँ आंशिक रूप से प्रशासनिक और आंशिक रूप से न्यायिक हैं। वे अनिवार्य रूप से तब न्यायिक होती हैं जब वे किसी न्यायिक आदेश के संबंध में और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग की जाने योग्य होती हैं। धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार विवेकाधीन है, इसलिए उच्च न्यायालय विवेक का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है यदि कोई पक्ष स्वच्छ हाथों के साथ उसके पास नहीं आया है।

12. धारा 482 के अंतर्गत किसी कार्यवाही में, उच्च न्यायालय तथ्यों के किसी भी निष्कर्ष में प्रवेश नहीं करेगा, विशेष रूप से तब, जब मामले का निष्कर्ष नीचे के दो न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों द्वारा निकाला जा चुका हो। धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट, अन्वेषण या उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी आपराधिक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कार्यवाही को निरस्त करने की शक्तियाँ शामिल हैं, और ये शक्तियाँ व्यापक परिमाण और प्रभाव वाली हैं। ऐसी शक्तियों का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने, किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और किसी मामले के तथ्यों के आधार पर इस संहिता के अधीन किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए आवश्यक आदेश देने हेतु किया जा सकता है। न्यायालय हमेशा न्याय की विफलता का संज्ञान ले सकता है एवं संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे रोक सकता है। ये शक्तियाँ संहिता के किसी अन्य प्रावधान द्वारा न तो सीमित हैं और न ही संकुचित ही की गई हैं। तथापि, ऐसी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयमपूर्वक, सावधानीपूर्वक तथा सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, **महमूद अली एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; (2023) 15 SCC 488** के मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तर 13 में निम्नवत प्रेक्षित किया गया था:

"13. तुच्छ या तंग करने वाली कार्यवाहियों में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह दृढ़ कथनों के अतिरिक्त मामले के अभिलेख से उभरने वाली कई अन्य उपस्थित परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित देखभाल और सावधानी के साथ पक्षियों के बीच छिपे अर्थ को पढ़ने का प्रयास भी करे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालय को स्वयं को केवल मामले के किसी एक चरण तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह मामले की शुरुआत/पंजीकरण तक ले जाने वाली समग्र परिस्थितियों के साथ-साथ अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री को संज्ञान में लेने के लिए भी सशक्त है। उदाहरण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के लिए वर्तमान मामले को ही देख सकते हैं। एक समय अवधि के दौरान कई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। ऐसी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में ही कई प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण महत्व रखता है, जो निजी या व्यक्तिगत द्वेष से बदला लेने के मुद्दे को आकर्षित करता है, जैसा कि अभिकथित भी है।"

इसी प्रकार, **रामावतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य; 2022 (13) SCC 635** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तर 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"10. जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, रामगोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2022) 14 SCC 531 : 2021 SCC OnLine SC 834] में इस न्यायालय के हालिया निर्णय का सीधे उल्लेख करना प्रासंगिक मामले से संबंधित होगा, जिसमें इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें हममें से दो (एन.वी. रमना, मुख्य न्यायाधीश एवं सूर्य कांत, न्यायमूर्ति) सम्मिलित थे, के समक्ष एक समान प्रश्न आया था। सकारात्मक उत्तर देते हुए, यह स्पष्ट किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत इस न्यायालय में निहित अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के विरुद्ध, और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियों के विरुद्ध एक अभिनिषेध के रूप में समझा जा सकता है। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 142 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत असाधारण शक्तियों के प्रयोग की कसौटी पूर्ण न्याय करना होगा। इसलिए, यह न्यायालय या उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, अपराध की प्रकृति और इस तथ्य पर उचित ध्यान देने के पश्चात कि पीड़ित/परिवादी ने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्वेच्छा से समझौता किया है, अपनी संबंधित संवैधानिक/अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में कार्यवाहियों को निरस्त कर सकते हैं।"

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **कुलंदिसामी एवं अन्य बनाम राज्य, प्रतिनिधि - पुलिस निरीक्षक एवं अन्य; दांडिक अपील संख्या 1224/2025** निर्णित दिनांक **07.03.2025** के मामले में यह प्रेक्षित किया कि ऐसा कोई निरपेक्ष नियम नहीं है कि यदि अन्वेषण प्रारंभिक चरण में है, तो भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

32. यह भी तर्क दिया गया है कि यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल: 1992 Supp (1) SCC 335, अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य: 2023 INSC 779** और **नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य: (2021) 19 SCC 401** के मामलों में कार्यवाहियों को निरस्त करने के संदर्भ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 की प्रधानता की पुनः पुष्टि की है।

33. पक्षकारों द्वारा उठाए गए और ऊपर संदर्भित तर्कों की पृष्ठभूमि में, अधिनियम संख्या 46/2023 के माध्यम से पेश किए गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है।

34. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की शक्तियाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में निर्दिष्ट हैं, जिसके अंतर्गत आक्षेपित सूचना जारी की गयी हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) नीचे उद्धृत की गई है:

"35. पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। - (1) ...

(2) ...

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(3) पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में, जिनमें उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका है, या विश्वसनीय इतिहास प्राप्त हो चुकी है, या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर, जो सूचना में निर्दिष्ट किया जाए, उपसंज्ञात होने के लिए निर्देश देते हुए एक सूचना जारी करेगा।”

35. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय XIII पुलिस को दी जाने वाली सूचना की पद्धति एवं उनके द्वारा अन्वेषण की जाने वाली शक्तियों का प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) नीचे उद्धृत की गई है:

“173. संज्ञेय मामलों में इतिहास.- (1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इतिहास, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा दी जा सकेगी और यदि पुलिसस्थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप से दी गई है,

(1) तो उसके द्वारा या उसके निदेशों लेखबद्ध कर ली जाएगी और इतिहास देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इतिहास पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। (ii) यदि इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा दी गई है, तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी, और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परंतु यदि किसी स्त्री द्वारा, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 122, धारा 73, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 64, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70, धारा 71 या धारा 78 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इतिला दी जाती है तो ऐसी इतिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी:

परन्तु यह और कि-

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 67, धारा 68, धारा 67 की उपधारा (4), धारा 69 की उपधारा (1), धारा 69 की उपधारा (2), धारा 70 की उपधारा (1), धारा 70 की उपधारा (2), धारा 71 या धारा 79 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इतिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के, जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की ईसा करता है, निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी विभाषिए या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी (ख) ऐसी इतिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी (ग) पुलिस अधिकारी धारा 183 की उपधारा (6) के खंड (क) के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभवशीघ्र अभिलिखित कराएगा।”

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

36. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 के आधार पर संज्ञेय मामलों में अन्वेषण की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अन्वेषण की प्रक्रिया भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176 में निर्दिष्ट की गई है।

37. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) एवं शासनादेश दिनांक 04.05.1998, जिसके अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 2 का गठन किया गया था, के सीधे पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पास सीधे परिवाद प्राप्त करने या प्राथमिकी दर्ज करने की कोई शक्ति नहीं है। शासनादेश दिनांक 04.05.1998 से प्राप्त विशेष कार्य बल की शक्तियाँ अनिवार्य रूप से शासनादेश के खंड 1 में निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष और जघन्य मामलों के अन्वेषण के संबंध में पुलिस अधिकारियों की सहायता करने के लिए हैं। प्रतिवादी संख्या 2 के लिए यह भी अनिवार्य है कि सूचना प्राप्त होने की स्थिति में, अन्वेषण अधिकारियों में निहित शक्तियों का उनके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है; तथापि, यह भी अनिवार्य है कि विशेष कार्य बल प्राथमिकी दर्ज कराए और तत्पश्चात अन्वेषण अपने हाथ में ले, जैसा कि शासनादेश दिनांक 04.05.1998 के खंड 2(ii) से स्पष्ट है। अतः, यह दर्शाता है कि आपराधिक तंत्र केवल पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में निर्दिष्ट सूचना देकर ही सक्रिय किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 2/प्राधिकरण के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे शासनादेश दिनांक 04.05.1998 में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए स्थानीय पुलिस के साथ कार्य करने वाले एक विशेष बल हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2(1)(v) 'पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी' को परिभाषित करती है, जो निम्नानुसार है:

“2. परिभाषाएँ –(1) इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न

हो,-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

XXX

XXX

XXX

(त)” पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी” के अंतर्गत, जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है, जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कान्स्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निदेश दे तब, इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है;”

38. वर्तमान मामले में, ऐसा कोई तथ्य या सामग्री अस्तित्व में नहीं है और न ही इस न्यायालय के समक्ष लाई गई है जिससे यह संकेत मिले कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष कोई सूचना दर्ज की गई थी, अतः संपूर्ण कार्यवाही प्रत्यक्षतः क्षेत्राधिकार के बिना थी। प्रतिवादी संख्या 4 का आचरण, जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तरों में विस्तृत रूप से बताया गया है, स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने मेसर्स एनर्जी के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष हार जाने के पश्चात, उनके द्वारा किए गए दावों के अनुसार भुगतान करके एक लंबित मुकदमेबाजी को अपने हाथ में ले लिया और यह भली-भांति जानते हुए कि सिविल उपचार या तो उपलब्ध नहीं होगा या पक्ष में नहीं होगा, सीधे प्रतिवादी संख्या 2 के पास जाने का एक नया तरीका अपनाया; इसे आपराधिक रंग देने के लिए अंतरराष्ट्रीय कॉलों के संबंध में कुछ दृढ़ कथन किए गए हैं।

39. परिवाद के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि दिनांक 22.12.2025 की परिवाद को 02.01.2026 को अंकित किया गया था और तीन दिनों की अवधि के भीतर 05.01.2026 को सूचना भेज दी गयी थी। यह सूचना विधि की दृष्टि में इस कारण से भी दोषपूर्ण है क्योंकि यह अंतर्निहित रूप से आवेदकों को अभियुक्त के रूप में मानता है, क्योंकि उनसे समान

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपराध को न दोहराने, साक्ष्यों को नष्ट न करने, अन्वेषण में हस्तक्षेप न करने और देश न छोड़ने के लिए कहा गया था। ये सभी शर्तें यह पूर्व-कल्पना करती हैं कि आवेदक अपराध के दोषी थे और साक्ष्यों को नष्ट करेंगे या अन्वेषण में बाधा डालेंगे।

40. उक्त आदेश आवेदकों के विदेश यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगाता है, जबकि इसके लिए कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर आवेदनकर्ताओं के पक्ष में प्राप्त अधिकारों का भी उल्लंघन है।

41. प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रकट किए गए भुगतानों से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि कुछ भुगतान शेयरों की खरीद की प्रत्याशा में एक श्री अनुराग वाजपेयी को किए गए थे; ऐसा कोई दृढ़ कथन नहीं है कि शेयर वास्तव में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा खरीदे गए थे, जो प्रतिवादी संख्या 4 को दीवानी कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार बना सकते थे। विशेष प्रयोजन वाहन के किसी भी घटक द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किसी भी शेयरधारिता के अभाव में, प्रतिवादी संख्या 4 ने कोई दीवानी अधिकार तक अर्जित नहीं किया, फलस्वरूप उन्होंने आपराधिक कार्यवाहियों का सहारा लिया।

42. इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा शुरू की गई संपूर्ण कार्यवाही, शेयरधारिता के हस्तांतरण की प्रत्याशा में घटकों में से एक को राशि का भुगतान करके, यीडा द्वारा विशेष प्रयोजन वाहन को आवंटित मुकदमेबाजी/संपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं थी। अभिलेख पर ऐसा कोई समझौता या दस्तावेज नहीं लाया गया है जिससे यह संकेत मिले कि प्रतिवादी संख्या 4 और श्री अनुराग वाजपेयी के बीच प्रतिवादी संख्या 4 या श्री सिकंदर मान के पक्ष में शेयरों को हस्तांतरित करने के लिए आपस में कोई समझौता हुआ था। संपूर्ण शिकायत कल्पना मात्र के अलावा और कुछ नहीं है ताकि किसी तरह विशेष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रयोजन वाहन और आवेदनकर्ताओं पर कंपनी से अलग होने के लिए अनुचित दबाव बनाया जा सके।

43. इसके अतिरिक्त भी, एक बार जब विशेष अनुमति याचिका के खारिज होने के पश्चात श्री अनुराग वाजपेयी के पास केवल कथित तौर पर भुगतान की गई राशि को वसूलने का अधिकार रह गया था, जैसा कि प्रति-शपथ पत्र के प्रस्तर 28 में प्रकट किया गया है, तो प्रतिवादी संख्या 4, जो उनके स्थान पर आने का दावा करते हैं, उसे केवल राशि वसूली का अधिकार ही प्राप्त हो सकता था। यह समझ से परे है कि श्री अनुराग वाजपेयी के पक्ष में देय लगभग 8 से 10 करोड़ रुपये की राशि की वसूली के लिए, प्रतिवादी संख्या 4 ने कथित तौर पर लगभग 29 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया, जो प्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का विश्वास उत्पन्न नहीं करता है।

44. आवेदन की पोषणीयता के संबंध में, ऊपर संदर्भित सामग्रियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 4 के इशारे पर शुरू की गई संपूर्ण कार्यवाही विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं थी और 'न्याय के हित में' की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे किसी भी अनैतिक व्यक्तियों को हतोत्साहित किया जाए जो अनुचित दबाव बनाने या अपने दीवानी विवादों के निस्तारण के लिए आपराधिक तंत्र का सहारा लेते हैं।

45. माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर संदर्भित स्पष्ट घोषणाओं के आलोक में, यह इस न्यायालय में निहित शक्तियों के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला है एवं प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति खारिज किए जाने योग्य है, तथा यह तदनुसार खारिज की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

46. उपर्युक्त अभिलिखित सभी कारणों से, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी संलग्नक-1 में निहित आक्षेपित सूचना दिनांक 05.01.2026 और उसके पश्चात की सूचना, यदि कोई हों, निरस्त की जाती हैं।

47. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4, हालांकि, प्रति-शपथ पत्र के प्रस्तर 28 में प्रकट की गई अपनी राशि श्री अनुराग वाजपेयी और व्यक्तियों/संस्थाओं से उपलब्ध दीवानी उपचारों का सहारा लेकर विधि के अनुसार सख्ती से वसूलने का हकदार होगा, न कि आपराधिक कार्यवाहियों के माध्यम से, जैसा कि करने का प्रयास किया गया था।

48. वर्तमान आवेदन को उपरोक्त शर्तों के अधीन **स्वीकृत** किया जाता है।

वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

मार्च 18, 2026

[न्यायमूर्ति पंकज भाटिया]

निशांत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।